मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 7595/वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P./2010 भोपाल, दिनांक 20/07/10

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त जिला

अति महत्वपूर्ण

विषयः– भारत सरकार तथा राज्य सरकार को प्रदत्त राशियों अप्रयुक्त रहने के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त विभाग के पत्र क्र. 617/आर 880/चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 06/07/2010 तथा क्र. एफ 11–1/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10/02/2010 (छांयाप्रति संलग्न)

—0—

विषयांतर्गत पत्र के संदर्भ में वित्त विभाग के पत्र का अवलोकन करें जो स्वयं स्पष्ट है। वित्त विभाग के चाहे गये प्रपत्र में जानकारी तत्काल 25/07/2010 तक उपलब्ध करावें ताकि विकास आयुक्त कार्यालय को जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

इसी के साथ योजना संचालन के लिए निर्धारित खातों के अतिरिक्त योजना के खाते कदापि संचालित नहीं होने चाहिए। इस संबंध में निम्नानुसार प्रमाण–पत्र भी 25/07/2010 तक उपलब्ध करायें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित

20.7.10

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
मुख्यालय, भोपाल

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नियमानुसार कुल खोले-जाने वालों की संख्या जो कि जिला के लिए एक जनपदों के लिए ..... (जनपदों की संख्या अनुसार) एवं ग्राम पंचायतों के लिए ..... (ग्राम पंचायतों की संख्या अनुसार) = ... होती है एवं तदानुसार ही खाते स्कीम के अंतर्गत संचालित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अतिकरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक | लेखाधिकारी | कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 617/ आर 880/चार/बी– 1/2010 भोपाल, दिनांक 06/07/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग,
मध्य प्रदेश शासन
मंत्रालय भोपाल

विषय :- भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्रदत्त राशियाँ अप्रयुक्त रहने के संबंध में।

–00–

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा भारत सरकार के लेखों के विषय में इस आधार पर आपत्ति ली जाती रही है कि शासन के विभागों/संस्थाओं को बजट/ऑफ बजट से प्रदत्त राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भी पूर्णतः व्यय नहीं की जा सकी हैं एवं खातों में अवशेष रही हैं। इस तरह की संभावना मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। अतः संलग्न प्रारूप में विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर संचालित बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

इस संबंध में यह भी लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–1/2009/नियम/चार दिनांक 10/02/2009 के अनुसार प्रावधान बैंक खातों में अनधिकृत रूप से रखी गई राशियों पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाय।
(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

(अमित राठौर)
संचालक, बजट
[illegible]

प्रपत्र

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा पद जिसके नाम से बैंक खाता संचालित है	कार्यालय का नाम एवं पता	बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें खाता संचालित है	योजना का नाम जिसके लिये खाता खोला गया है	खाता खोलने हेतु सक्षम स्तर से जारी की गई स्वीकृति के आदेश के विवरण (जारी कर्मचारी/अधिकारी का नाम/पता आदेश क्रमांक एवं दिनांक)	दिनांक 01/04/09 की स्थिति में प्रारंभिक शेष (रुपयों में)	दिनांक 01/04/09 से 31/03/10 के मध्य प्राप्त राशि (रुपयों में)	दिनांक 31/03/10 की स्थिति में अंतिम शेष (रुपयों में)	वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F-11-1/2009/नियम/4 दिनांक 10.02.2009 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड का कार्य	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9 JUL 2010

Secy (PERD)
JC (B)
AO (P.)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-1/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 10 फरवरी, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों में जमा राशि राज्य के खाते में जमा करने बावत् ।

--00--

वित्त विभाग को जानकारी मे यह तथ्य आया है कि बहुत से शासकीय कार्यालयों में वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खाते खोलकर विभिन्न योजनाओं की कोषालयों से आहरित राशि जमा की जा रही है। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन की राशि भी बैंक खातों में जमा की जा रही है । मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 9 और मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर भी राज्य की संचित निधि से इस प्रकार राशि आहरित करना पूर्णतः नियमों के विपरित है तथा वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम-6 के अनुसार शासकीय धन को कोषालय से आहरित कर अन्यत्र खाता खोलकर रखना स्पष्ट रूप से वर्जित है ।

2/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सभी विभाग दिनांक 28 फरवरी 2009 तक उक्त बैंक खाते बंद कर राशि शासकीय कोष मे जमा करायें ।
2. ऐसे मामलों में जहां इस राशि की आगे भी निरंतर आवश्यकता हो वहाँ बैंक खातें से राशि निकालकर पी.डी खातें में रखी जाए । यह पी.डी. खाते वित्त विभाग की सहमति से खोले जा सकते हैं ।
3. जो अधिकारी दिनांक 28 फरवरी 2009 तक बैंक खाते बंद नहीं करते हैं, उन पर खाते में जमा राशि के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाय ।

3/ समस्त विभागों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक : एफ 11-1/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 10 फरवरी, 2009

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट-1/2) म.प्र. -ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र.
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म.प्र.
4. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.

की ओर पालनार्थ ।

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो-1665-असविविभो-19-2-09-400.